न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ

प्रकरण स0:– 4/ 2020

पवन कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी चन्दुरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

–प्रार्थी–

–: बनाम :–

तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थी –

प्रार्थनां पत्र बाबत दुरूस्ती

निर्णय दिनांक:-- 06.01.2021

प्रार्थी नें जरीये वकील प्रा0पत्र पेश किया की आराजी चक न0 8 एफटीपीए खाता स0 5/3 जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 व चक 14 एनजीसी खाता स0 51/49 जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 तथा 10 एनजीसी खाता स0 81/84 जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 के मुश्तरका खाता में प्रार्थी का नाम पवन कुमार की जगह पवन कुमार उर्फ हनुमान सहब सें दर्ज हो गया है प्रार्थी का सही व वास्तवीक नाम पवन कुमार है मगर राजस्व रिकार्ड में गलती सें पवन कुमार उर्फ हनुमान दर्ज हो गया है नकल जमांबदीया वास्ते मुलाहिजा पेश है। प्रार्थी के पढाई के कागजात ,राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में नाम पवन कुमार दर्ज है जबकि उक्त भूमिं में सहब सें पवन कुमार की जगह पवन कुमार उर्फ हनुमान दर्ज हो गया है जो काबिले दुरूस्ती के है प्रार्थनां पत्र के साथ प्रार्थी के अन्य कागजात संलग्न है जिनमें प्रार्थी का सही नाम दर्ज है अर्सा 10 दिन पूर्व प्रार्थी नें अपनें जमीन संबधी कागजात की नकल प्राप्त की तो पता चला की सहब सें राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पवन कुमार की जगह पवन कुमार उर्फ हनुमान दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थी का सही नाम पवन कुमार है उक्त गलती राजस्व विभाग द्वारा सहब सें हो गई है जिसें प्रार्थी दुरूस्त करवानें के कानूनन हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट पेश कर निवेदन है कि चक न0 8 एफटीपीए खाता स0 5/3 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 व चक 14 एनजीसी खाता स0 51/49 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 तथा चक न0 10 एनजीसी खाता स0 81/84 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 के मुश्तरका खाता में प्रार्थी का नाम पवन कुमार उर्फ हनुमान पुत्र बुधराम की जगह पवन कुमार पुत्र बुधराम दर्ज किया जावें श्री मान जी की अती कृपा होगी।

उक्त प्रा0पत्र पेश होनें पर दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी को जरीये नोटीस तलव किया गया अप्रार्थी नें अपनें जवाव में लिखा है की उक्त गलती लिपिकीय भूल सें हुई है जो सही कर दिया जावे तो उचित है व राज्य हित में है प्रा0पत्र तुरन्त स्वीकार किया जावे। ईस प्रार्थना पत्र वावत पटवारी हल्का चन्दूरवाली सें रिर्पोट ली गई मुताविक रिर्पोट प0ह0 चन्दूरवाली दिनांक 24.12.20 द्वारा चक न0 8 एफटीपीए खाता स0 5/3 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 व चक 14 एनजीसी खाता स0 51/49 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 तथा 10 एनजीसी खाता स0 81/84 जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 के मुश्तरका खाता में प्रार्थी का नाम पवन कुमार उर्फ हनुमान पुत्र बुधराम जाति विश्नोई निवासी चन्दूरवाली मुताविक रिकार्ड दर्ज बताया है मुताविक प0ह0 रिकार्ड पवन कुमार व हनुमान एक ही व्यक्ति होनां बताया है। हमनें प्रार्थी के वकील की वहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया चक न0 8 एफटीपीए खाता स0 5/3 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 व चक 14 एनजीसी खाता स0 51/49 जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 तथा 10 एनजीसी खाता स0 81/84 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 के मुश्तरका खाता में प्रार्थी का नाम पवन कुमार की जगह पवन कुमार उर्फ हनुमान सहव सें दर्ज हो गया है प्रार्थी का सही व वास्तवीक नाम पवन कुमार है मगर राजस्व रिकार्ड में गलती सें पवन कुमार उर्फ हनुमान दर्ज हो गया है जो काबिले दुरुस्ती के है प्रार्थनां पत्र के साथ प्रार्थी के अन्य कागजात संलग्न है जिनमें प्रार्थी का सही नाम पवन कुमार ही है प्रार्थी का प्रार्थनां पत्र स्वीकार कर चक न0 8 एफटीपीए खाता स0 5/3 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 व चक 14 एनजीसी खाता स0 51/49 जमांबदी सम्वत 2075 सें 78 तथा 10 एनजीसी खाता स0 81/84 जमांवदी सम्वत 2075 सें 78 के मुश्तरका खाता में प्रार्थी का नाम पवन कुमार उर्फ हनुमान की जगह पवन कुमार दर्ज किये जानें की दुरुस्ती की जाती है। तहसीलदार टिब्बी के नाम उक्त दुरुस्ती का आदेश जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

टिब्बी